भोपालः अभी सुबह हुई नहीं

सरकारः खुलेपन से इनकार

दहेजः कानून का दुरुपयोग

यू.पी.-उत्तराखंड विशेष

23 जून, 2010 15 रुपए

इंडिया टुडे

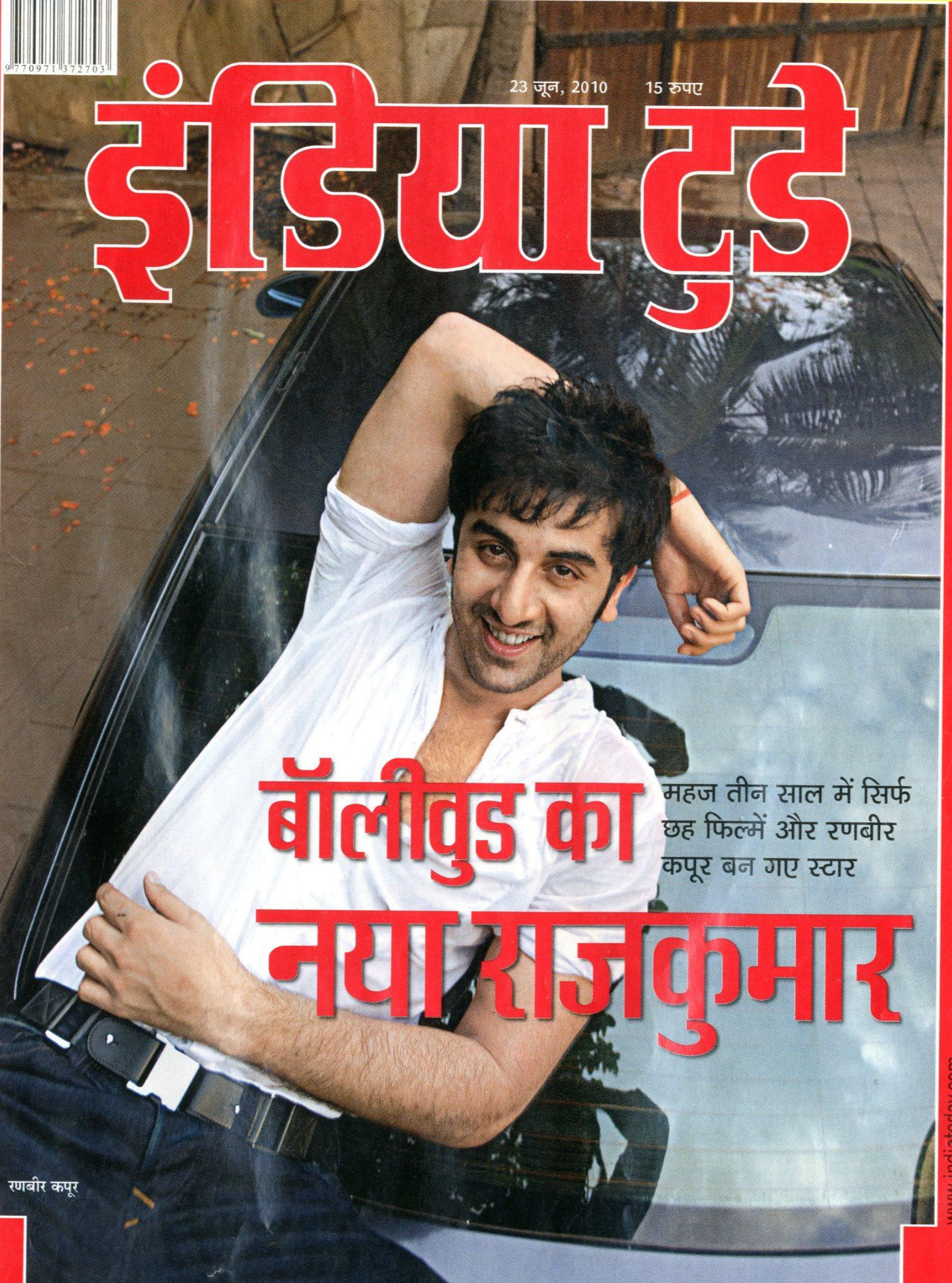

बॉलीवुड का नया राजकुमार

महज तीन साल में सिर्फ छह फिल्में और रणबीर कपूर बन गए स्टार

रणबीर कपूर

www.indiatoday.com

RNI NO. 45823/86 REGISTERED NO. TECH/HR/46/FBD/08-10; MH/MR/WEST/156/2006-2008; DL(ND)-11/6042/09-11; U(C) 31/2009-11 LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT 1025

रक्षा कवच बना प्रतिशोध का अस्त्र

यूपी समेत देश के दूसरे हिस्सों में इस कानून की आड़ में वधू पक्ष वर पक्ष के लोगों को कर रहा प्रताड़ित. देश की प्रथम नागरिक समेत अदालतों, स्वयंसेवी संगठनों ने इसके दुरुपयोग पर जताई चिंता

सुभाष मिश्र

लखनऊ सदर मुहल्ले में रहने वाले 22 वर्षीय मोहम्मद आसिफ और 21 वर्षीया शाहीन की यह कहानी खूबसूरत गुनाह (मोहब्बत) से लेकर अल्लाह को सबसे नागवार हरकत (तलाक देना) और फिर एक सामाजिक बुराई को रोकने के लिए बने कानून के दुरुपयोग तक की दास्तान बयान करती है. दोनों ने 27 मई, 2009 को विवाह किया. चूंकि आसिफ के घर वाले इससे खुश नहीं थे लिहाजा वह अपने ससुरालवालों के साथ रहकर छोटा-मोटा कारोबार करने लगा. आठ माह तक सब ठीक चला. जनवरी, 2010 में एक रोज जब शाहीन अपनी मां के साथ अस्पताल से चेकअप करवाकर लौटी तो आसिफ का मिज़ाज उखड़ा हुआ था. आसिफ ने कहा कि उसने अस्पताल में शाहीन को 'अपने पुराने ब्वॉयफ्रेंड' के साथ देखा है. फिर दिन प्रति दिन उनके रिश्ते कड़वे होते गए. दोनों में मेल-मिलाप कराने के इरादे से उन्हें लखनऊ चिड़ियाघर भेजा गया जहां समझौता करने की जगह आसिफ ने वे शब्द तीन बार बोले जो मजहबी मुसलमानों की राय में अल्लाह को सबसे ज्यादा नागवार लगते हैं: तलाक, तलाक, तलाक. इसके साथ शाहीन की विवाहित जिंदगी खत्म हो गई. शाहीन बहुत रोई-गिड़गिड़ाई पर आसिफ नहीं पिघला.

आसिफ को पाने में नाकाम होने के बाद शाहीन और उसके घर वालों के पास कोई चारा नहीं बचा, लिहाजा उन्होंने आसिफ और उसके घर के आठ सदस्यों के खिलाफ दहेज विरोधी कानून की धारा 498 (ए) के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया. पुलिस ने आधी रात को आसिफ के घर पर छापा मारा और उसके 70 वर्षीय वालिद समेत जो लोग घर पर मिले, सबको जेल पहुंचा दिया.

एक अन्य मामले में लखनऊ स्थित एक निजी कंपनी में सीनियर एक्जक्यूटिव इंद्रनील भट्टाचार्य ने 2002 में मौसमी चटर्जी से विवाह किया. पांच महीने बाद ही उनके रिश्ते बिगड़ गए, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने रिश्ते को कायम रखा और 2008 में उनके दो बच्चे भी हो गए. इंद्रनील ने बताया, "हम निम्न मध्यवर्ग के लोग हैं, लिहाजा मैंने उससे कहा कि वह अपने ऊपर ज्यादा पैसे न खर्च करे. मैं जब भी उसे समझाता, वह उलटे मुझ पर ही नाराज हो जाती थी. मेरे पास उससे किफायत बरतने के लिए कहने के अलावा कोई चारा नहीं था." इंद्रनील का कहना है कि उसकी पत्नी ने अंततः उसके खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करा दिया. "पुलिस, अदालत के अधिकारियों और मेरी पत्नी ने मेरी जिंदगी तथा मेरे परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया. अदालत और पुलिस थाने के चक्कर में हमारा सारा पैसा खत्म हो गया. मौसमी और उसके रिश्तेदारों ने हमें अपने घर से बाहर निकाल दिया. मेरे माता-पिता ने अपनी मेहनत से कमाए धन से घर बनाया था और अब वे किराये के मकान में रह रहे हैं." इंद्रनील आर्थिक और सामाजिक, दोनों रूप से टूट चुके हैं.

बाराबंकी जिले के बेलिया गांव की सरोज और भैसूपुर गांव के रामशरण की चार साल पहले शादी हुई थी. सरोज एक सुबह अपनी ससुराल से गायब हो गई. उसके पिता ने रामशरण और उसके घरवालों पर सरोज की हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगाने का आरोप लगा दिया. रामशरण और उसके घरवालों को जेल हो गई. सत्र न्यायालय ने उन्हें कठोर दंड सुनाया. मामला हाइकोर्ट में आया तभी "मृतका" सरोज अदालत पहुंची और बताया कि वह प्रेमी के साथ फरार हो गई थी. पिता ने प्रतिशोध में उसके कानूनी पति के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करा दिया था.

ऐसे मामलों की कमी नहीं है जिनमें वधू पक्ष के लोग दहेज विरोधी कानून की आड़ लेकर पति-पत्नी के विवाद की असली वजह छुपा रहे हैं और वर पक्ष को प्रताड़ित कर रहे हैं. इस कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत पुलिस को मिले अधिकारों के चलते उत्तर प्रदेश की जेलों में 9,000 से ज्यादा लोग बंद पड़े हैं, जिनमें ज्यादातर विवाहित पुरुष और उनके घर वाले हैं. वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश के जेल महानिरीक्षक सुलखान सिंह का कहना है, "हां, मुझे लगता है कि हत्या के बाद सबसे ज्यादा दहेज विरोधी कानून के चलते ही लोग जेल जा रहे हैं."

पुलिस थानों में दहेज मामलों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. राज्य की जेलों में 86,895 कैदियों में से 9,031 से भी ज्यादा दहेज विरोधी कानून के तहत बंद हैं. यानी 10 फीसदी से भी ज्यादा. उत्तर प्रदेश में 2000 से 2007 के दौरान 795 नाबालिग लड़कियों और 1,300 लड़कों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया. इसी तरह के एक मामले में फंस चुके एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने अफसोस जताया, "ज्यादातर मामलों में वधू पक्ष के लोग पति और उसके घर वालों के खिलाफ दहेज विरोधी कानून के तहत मुकदमा कराते हैं. पुलिस छानबीन की बजाए अभियुक्तों को फौरन पकड़ जेल पहुंचा देती है. यह बेतुका है. ये नाबालिग लड़के-लड़कियां दहेज के मामले में कैसे शामिल हो सकते हैं, जब उन्हें इसका मतलब भी नहीं मालूम."

दहेज कानून के मामले में पूरे देश में अव्यवस्था है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक, 2004 से 2008 के दौरान दहेज विरोधी कानून के अनुच्छेद 498 (ए) के तहत 83,36,842 मामले दर्ज किए गए और 94 फीसदी अभियुक्तों को आरोप मुक्त कर दिया गया. इन आंकड़ों से जाहिर है कि वधू पक्ष इस कानून का बेजा इस्तेमाल कर रहा है. इस दुरुपयोग के चलते देश भर में कई तरह की गतिविधियां शुरू हो गई हैं. 'भारतीय परिवार बचाओ' अभियान शुरू किया गया है, 19 नवंबर को पति दिवस घोषित किया गया है, हर 15 अगस्त को राज्य की राजधानी में पत्नी पीड़ित रैली निकालते हैं. इसके अलावा देश भर में पत्नी पीड़ित संगठन, सेव फेमिली, ऑल इंडिया मेल वेलफेयर एसोसिएशन, मदर ऐंड सिस्टर इनिशिएटिव, फॉरगॉटन विमेन जैसी संस्थाएं उभर आई हैं. पत्नी पीड़ितों ने 15-16 अगस्त को तमिलनाडु के सलेम के पास दहेज विरोधी कानून के जरिए सताए गए लोगों की रैली और कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की योजना बनाई है. कई संगठनों और स्त्री-पुरुष भेद मिटाने के लिए काम करने वालों ने इस कानून की समीक्षा करने के लिए संसद और अदालतों पर दबाव बनाने की खातिर अभियान छेड़ रखा है. इस कानून के एक और शिकार विकास

पुष्कर की तस्वीर दिखाती उनकी मां

पुष्कर सिंह
पत्नी ने दहेज मांगने का आरोप लगाया और उन्हें चार महीने जेल में काटने पड़े. जेल से लौटने पर समाज का सामना नहीं कर सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली.

बृजेश (बाएं) पत्नी की फोटो और परिवार के साथ

बृजेश कुमार
साले ने उन पर गलत आरोप लगाए तो पत्नी ने जान दे दी, जिस पर ससुरालियों ने बृजेश पर दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज कर दिया. आज वे पूरी तरह टूट चुके हैं.

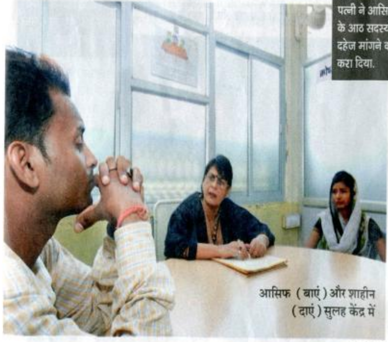

आसिफ (बाएं) और शाहीन (दाएं) सुलह केंद्र में

मोहम्मद आसिफ
पत्नी पर संदेह के चलते तीन बार तलाक कहा लेकिन पत्नी ने आसिफ के परिवार के आठ सदस्यों के खिलाफ दहेज मांगने का मामला दर्ज करा दिया.

समाज दहेज विरोधी कानून

बातचीत | सुलखान सिंह

"क्षमता से अधिक कैदी हैं जेलों में"

वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी **सुलखान सिंह** *पिछले तीन साल से उत्तर प्रदेश के जेल महानिरीक्षक की हैसियत से जेल प्रशासन का जिम्मा संभाले हुए हैं. उन्होंने जेलों की दशा पर इंडिया टुडे से बातचीत की. कुछ अंश:*

● ***यूपी की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं?***

प्रदेश के 71 जिलों में कुल 61 जेल हैं और

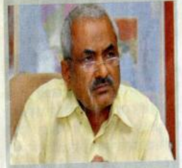

जल्द ही आधा दर्जन नई जेल बनने वाली हैं. जेलों की कुल क्षमता 32,000 है जबकि उनमें सीमित संसाधनों के साथ करीब 84,000 कैदी बंद हैं.

● ***क्या यूपी की जेलों में अधिक कैदी होने से हर साल 280 लोग दम तोड़ते हैं?***

दूसरे प्रदेशों के मुकाबले यहां जेल में मरने वाले कैदियों की संख्या कम है. तिहाड़ में 100 से ज्यादा डॉक्टर हैं जबकि गाजियाबाद जेल में सिर्फ दो डॉक्टर हैं. जेल से बाहर 1,000 व्यक्ति पर हर साल 10 लोग मरते हैं जबकि जेल में मात्र तीन लोग मरते हैं. कैदियों की मौत को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है.

● ***बताया जा रहा है कि जेल में दहेज मामलों के अभियुक्तों की संख्या बहुत है?***

हां, मुझे ऐसा लगता है. हत्या के बाद दहेज के मामलों के आरोपित ही हैं, जिनकी संख्या 9,000 से ज्यादा है.

● ***क्या आपने कमजोर और बीमार लोगों को रिहा कराने का कोई प्रयास किया है.***

मुख्यमंत्री की दया के आधार पर कैदियों को रिहा कराने की नीति है. ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जारी है.

● ***कांशीराम स्मारक के लिए ऐतिहासिक जेल को ढहने पर आप विवाद में घिर गए थे.***

हमने विशाल नई जेल बनाई है. नई जेलों का निर्माण नीतिगत फैसला है. हम इसे कर रहे हैं.

परिहार ने बताया, "मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि दहेज विरोधी कानून पुलिस और वकीलों के लिए मोटी कमाई करने का जरिया है."

अब सुरेश त्रिपाठी को ही लें. उन्होंने 1993 में हेमलता से विवाह किया था और उनके तीन बच्चे थे. एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहा-सुनी हो गई. सुरेश बताते हैं, "गुस्से में उसने स्कार्फ को अपनी गरदन पर बांधा, नतीजतन उसकी मौत हो गई. मुझे कोर्ट में उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जो मैंने किया ही नहीं. न ही मेरे माता-पिता ने किया था. 44 साल की उम्र में मेरा जीवन नष्ट हो चुका है. अब मैं एकदम अकेला हूं."

भारतीय परिवार बचाओ अभियान के संस्थापक सदस्य स्वरूप सरकार ने दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि देशभर में 2,000 से ज्यादा स्वयंसेवी संगठन महिला कल्याण के लिए काम कर रहे हैं लेकिन एक भी पुरुष कल्याण के लिए नहीं है. दूसरा, दहेज के ज्यादातर मामले आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों के खिलाफ दर्ज होते हैं. फिर पुलिस और वकीलों का दल वर पक्ष को लूटने लगता है. सरकार ने कहा, "किसी महिला की मौखिक शिकायत पर ही पुलिस मामले की जांच किए बगैर बच्चों और बूढ़ों समेत परिवार के छह-सात लोगों को कैसे गिरफ्तार कर सकती है. यह असंवैधानिक और अवैध है. सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि दहेज विरोधी कानून से जुड़ी शिकायतों की उचित जांच होनी चाहिए. जरूरी होने पर ही गिरफ्तारी की जाए. पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पुलिस ने दहेज विरोधी कानून के मामलों को माल उगाही का जरिया बना रखा है."

दहेज विरोधी कानून से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अदालत परिसर में ही "बीच-बचाव और सुलह केंद्र" बना रखा है. इसकी संयोजन समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील आइ.बी. सिंह और निगरानी समिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं. आइ.बी. सिंह ने *इंडिया टुडे* को बताया कि पिछले आठ महीने के दौरान सुलह केंद्र में 622 मामले भेजे गए और उनमें से एक भी मामला ऐसा नहीं था जिसमें पति-पत्नी के बीच विवाद की वजह दहेज हो. इस केंद्र की एक सदस्य शबनम सिद्दीकी ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की. इसी केंद्र के संजीव शर्मा और मोहम्मद फैज नसीन ने कहा कि मध्य और उच्च मध्य वर्ग के परिवारों में इस कानून का दुरुपयोग बढ़ रहा है. ताज्जुब की बात यह है कि हाल के समय में जीवनशैली से जुड़ी समस्याएं भी दहेज की मांग से जुड़ गई हैं. उन्होंने इस तरह का एक मामला बताया. लखनऊ के मोहनलालगंज का निवासी दीप सिंह चाहता था कि उसकी नवविवाहिता रेखा सिंह आधुनिक कपड़े पहने और देर रात तक उसके दोस्तों को मांसाहारी भोजन और बियर परोसे. रेखा ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उनमें खटपट हो गई. पति जिद्दी निकला. रेखा के पास कोई विकल्प नहीं था, सो उसने दीप के खिलाफ दहेज विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज करा दिया. वे यहां आए और तलाक लेकर एक-दूसरे से अलग हो गए.

संजय सोनकर

विरोध प्रदर्शन करते पति परिवार कल्याण समिति के सदस्य

सुरेश त्रिपाठी

मामूली अनबन पर पत्नी ने आत्महत्या कर ली. कोर्ट ने सुरेश को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जो उसने किया ही नहीं था. उसे 6 साल जेल में गुजारने पड़े.

ऐसा नहीं है कि हाइकोर्ट के वकीलों, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं या पीड़ितों ने दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है. राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील से लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट तक इस कानून के दुरुपयोग पर चिंता जता चुके हैं और इस रुझान को "कानूनी आतंकवाद" तक करार दिया गया है. दहेज विरोधी कानून के एक और शिकार विकास परिहार का कहना है, "इतने विरोध के बावजूद नतीजा सिफर है." परिहार ने बताया कि उनकी पत्रकार पत्नी के एक पत्रिका के मालिक के साथ अवैध संबंध थे. उन्होंने विरोध किया तो यह सख्त कानून झेलना पड़ा. मानसिक रूप से टूट चुके परिहार ने बताया, "मैं इस मुकदमे को लड़ने के चक्कर में नौकरी, पैसा, परिवार, सामाजिक रुतबा सब कुछ गंवाकर सड़क पर आ गया हूं. मेरे पास पैसा नहीं है. और मुकदमा न लड़ा तो मुझे ऐसे जुर्म का मुजरिम बताकर जेल भेज दिया जाएगा जिसे मैंने किया ही नहीं है. और अगर मैं लड़ता रहता हूं तो मेरा सब कुछ चला जाएगा. मैं भिखारी बन जाऊंगा. ऐसी जिंदगी का क्या मतलब?" कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसके तहत झूठे मामले में फंसाए जाने पर खुदकुशी कर ली. पुष्कर सिंह पर पत्नी ने दहेज मांगने का आरोप लगाया था. उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया. चार महीने बाद जेल से रिहा होकर जब वे लौटे तो उन्होंने एक पत्र में अपनी पत्नी और ससुरालवालों को अपनी जिंदगी बरबाद करने का दोषी ठहराया. और खुद फांसी लगा ली. अपने पीछे वे अपनी बीमार मां और एक बच्चे को छोड़ गए. एक झूठे मामले ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया और पुष्कर सिंह की बीमार मां दूसरों की मोहताज हो गई.

लखनऊ के नारी बंदी निकेतन में कई बुजुर्ग महिलाएं कैद हैं. जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "ज्यादातर बुजुर्ग कैदियों के खिलाफ दहेज के मामले हैं और उन्हें सारी उम्र जेल में ही बितानी है." गौरतलब है कि उनमें से कई अपने बूते चल-फिर नहीं सकतीं और अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर सकतीं. दुखद यह है कि इनमें से ज्यादातर महिलाओं को उनके अपने ही लोगों ने भुला दिया है. जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लखनऊ में 151 महिला कैदी हैं और पिछले एक साल के दौरान उनमें से 105 से मिलने के लिए कोई नहीं आया है और बाकी 46 से मिलने के लिए सिर्फ तीन मुलाकाती आए, हालांकि प्रत्येक कैदी को 12 बार मुलाकात का मौका दिया जाता है. लखनऊ के नारी बंदी गृह के अधिकारी ने कहा, "ये महिला कैदी हमारे परिवार की सदस्यों की तरह हैं और हमें उनकी देखभाल करनी होती है."

इसी के मद्देनजर सुलखान सिंह ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैदियों को रिहा करने की पहल की थी. अभी तक उन्होंने कानूनी हस्तक्षेप से 2,800 से ज्यादा कैदियों को रिहा कराया है. वे बताते हैं, "मुख्यमंत्री मायावती भी कुछ गंभीर रूप से बीमार और लाचार कैदियों की रिहाई में विलंब से चिंतित हैं. लिहाजा, मुख्यमंत्री ने दया के आधार पर उनकी रिहाई पर गौर करने के लिए कहा है."

जेलों में 65-70 साल के बीमार बुजुर्ग पड़े हैं. उन्हें उम्र कैद हुई है. इनमें सासों के अलावा युवा ननदें भी हैं, जो बच्चों के साथ जेल में हैं. सास और ननदों के एक नए संगठन सिस्टर्स ऐंड मदर्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस कानून के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाई है. एक अन्य संगठन ऑल इंडिया मदर इन लॉ प्रोटेक्शन फोरम ने दुख जताया है कि एक महिला दूसरी महिला और उसके पूरे परिवार को सिर्फ इसलिए तबाह कर देती है क्योंकि वह उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा सकती. पति गलत है तो उसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, न कि पूरे परिवार के साथ खिलाफ. परिहार का कहना है, "2005-08 के दौरान दहेज विरोधी कानून के चलते दो लाख से ज्यादा पुरुषों ने खुदकुशी की जबकि ऐसी महिलाओं की संख्या कम है." ऐसे में इस "कानूनी आतंकवाद" से लड़ने को देशभर के पीड़ित एकजुट हो रहे हैं. ■

AIIA Since 2005
The Aviation School

प्रवेश सूचना

कोर्स का नाम	योग्यता	अवधि	अंदाजित वेतन
पायलट (CPL)	12वीं (PCM)	4+8 महीने	75000-150000
केबिन क्रू (M/F)	12वीं	6 महीने	15000-25000
ऐयरपोर्ट मैनेजमेंट	12वीं	6 महीने	15000-20000
ऐयर टिकेटिंग	12वीं	6 महीने	10000-25000
ऐयर आर. टी.	10वीं	4 महीने	10000-20000
[illegible]			

*Get Registered Before 30.06.2010
Get Free Helicopter Ride.

in association with
Gati
Government Aviation Training Institute
(DGCA approved)

AIIA is the only study centre of UGC recognised Dibrugarh University (Assam) for Diploma & BBA (Aviation/Flying)

Placement Associates
naukri.com India's No.1 Job Site
Ma Foi
TIMESJOBS.COM Because you are worth more
LIVEWEL
K7 Jobs

The only authorized training centre of Bharat Sevak Samaj (an organisation started under the guidance of of Planning Commission, Govt. of India), for aviation courses in the region.

CERTIFICATE ISSUED ACCEPTED BY THE EMPLOYMENT EXCHANGES THROUGH OUT INDIA.

ALL INDIA INSTITUTE OF AERONAUTICS
245/1, Sirmour Marg, Krishan Nagar, Kaulagarh Road, Dehradun (Uttarakhan
Ph :- 9897009077, 9760111666
0135-2751558, 3207975, 6527
www.aiiaindia.c